प्रकरण संख्या 14/2023 मोहन व अन्य बनाम मानजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मूलपुरूष स्वर्गीय हुरजी होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 30, 42, 59/31, 64/18, 93/25 कुल किता 5 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम झुवां, तहसील छोटी सरवन में स्थित है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता गोतिया का हुरजी के जीवनकाल में ही देहावसान होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 30.07.1975 खुलवा लिया, जबकि गोतिया जी के वारिसान का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा नामान्तरकरण व उसका अमल दरामद विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 28.04.2023 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने अधिवक्ता अपीलान्ट श्री तसलीम अहमद की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 27.03.2023 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] अपील श्रवणार्थ ग्रहण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:26 IST
Reason: SelfAttested

की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सूचना दिया एवं बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हिदायत पैरवी करने की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्टगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजी नंबर 30, 42, 59/31, 64/18, 93/25 कुल किता 5 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा रेकार्डेड खातेदार हैं, किन्तु दिनांक 15.11.2017 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं तथा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री 24.08.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:26 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:26 IST
Reason: SelfAttested